भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3522
गुरुवार, 10 अगस्त, 2023/19 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान के अंदर तस्वीरें लेने के संबंध में नीति

3522. श्री ए. के.पी. चिनराजः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि ब्लॉगरों को विमान के अंदर वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने की अनुमति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने यात्रियों के निजता के अधिकार के संबंध में विमान के भीतर वीडियो बनाने और तस्वीरें लेने के संबंध में कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (ख): अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं में लगे विमान में यात्रा करने वाले यात्री, उड़ान के दौरान विमान के अंदर से और उतरते समय, उड़ान भरते समय और सिविल हवाईअड्डों पर विमान की स्थिर अवस्था में तस्वीरें ले सकते हैं। हालाँकि, नागर विमानन वैमानिक सूचना सेवा महानिदेशालय (एआईसी 7/2004) के आदेश संख्या 9/12/2003-आईआर दिनांक 09 दिसम्बर, 2004 के अनुसार यह अनुमति तब लागू नहीं होती जब कोई विमान रक्षा हवाईअड्डे पर उतर रहा हो, उड़ान भर रहा हो या जमीन पर स्थिर अवस्था में हो।

****